समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया (बिहार)
Collectorate: West Champaran, Bettiah

:-06254 - 242534 (Off.) E-mail :- dm-bettiah.bih@nic.in
:-06254 - 232535 (Res.)/242576 (Fax) Web :- http://westchamparan.nic.in

(जिला गोपनीय शाखा)

-:आदेश:-

सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–2835, दिनांक–04.05.2021 द्वारा प्राप्त निदेश एवं कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या मे अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर दिनांक–04.05.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक मे दिनांक–05.05.2021 से 15.05.2021 तक निम्न प्रतिबंध लगाने एवं उससे संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त परिस्थितियों के आलोक मे मैं, **कुंदन कुमार, भा०प्र०से० जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन दिनांक–05.05.2021 से दिनांक–15.05.2021 तक निम्नवत् आदेश निर्गत करता हूँ कि–**

1. पश्चिम चम्पारण के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
   अपवादः– आवश्यक सेवाओं यथा–जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे।
2. दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
   अपवादः–
   (क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए०टी०एम० संचालन से सबंधित प्रतिष्ठान।
   (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
   (ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Constuction Works)
   (घ) E-Commerce एवं Courier Services से जुड़ी सारी गतिविधियाँ।
   (ङ) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
   (च) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
   (छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं के संबंधित गतिविधियाँ।
   (ज) पेट्रोल पम्प, एल०पी०जी०, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।
   (झ) आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस–मछली/दूध/पी०डी०एस० की दुकानें–प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वाह्न तक।
   (ञ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
   (ट) निजी सुरक्षा सेवाएं।
   (ठ) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम–घम कर बिक्री सहित।
   अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from home के आधार पर कार्य कर सकते हैं।
3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां–सरकारी एवं निजी, दवा दूकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
4. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गो पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
   अपवादः–
   (क) पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालो तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
   (ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों मे संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।
   (ग) अनुमान्य कार्यो से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन।
   (घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई–पास निर्गत है।
   (ङ) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।

(च) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई–जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।

(छ) कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

(ज) अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।

6. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि मे राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ नही ली जाएँगी।

7. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे Take Home के आधार पर कार्यरत रह सकते है।

8. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

9. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनितिक/मनोरंजन/खेल–कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे।

10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।

11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन–सरकारी एवं निजी–पर रोक रहेगी।

12. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमे डी०जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम–से–कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 एवं भा०द०वि० की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

—ह०/—
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक– 1262 /गो०, दिनांक 04/05/2021

प्रतिलिपि :– सभी थानाध्यक्ष/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/पुलिस उपाधीक्षक, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला मुख्यालय/क्षेत्रिय कार्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी, कोविड–19 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/सहायक समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5/21

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।